प्रारंभिक परीक्षा

स्वच्छ ऊर्जा भंडारण के लिए नई थर्मल बैटरी सामग्री

संदर्भ

शोधकर्ताओं ने एक लागत-प्रभावी और उच्च प्रदर्शन वाली तापीय ऊर्जा भंडारण (थर्मल एनर्जी स्टोरेज) सामग्री विकसित की है।

विकसित नई सामग्री के बारे में

- **सामग्री का प्रकार:** मेटल ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स (धातु ऑक्साइड नैनोकणों) का उपयोग करके बनाया गया स्पिनेल नैनोकम्पोजिट फेज़ चेंज मटेरियल (PCM)।
    - **उत्पादन विधि:** इसे एक सरल और स्केलेबल (व्यापक स्तर पर अपनाए जाने योग्य) सह-अवक्षेपण (co-precipitation) प्रक्रिया का उपयोग करके विकसित किया गया है।
- **मुख्य विशेषताएं:** केवल 1% नैनोकणों को शामिल करने से विशिष्ट ऊष्मा क्षमता (specific heat capacity) में लगभग 45% की वृद्धि हुई, जबकि इसने तापीय स्थिरता और ऊर्जा-भंडारण दक्षता में भी सुधार किया।
- **कार्य सिद्धांत:** नैनोकण सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं और स्थिर स्पिनेल ऑक्साइड इंटरफेस बनाते हैं, जिससे सामग्री प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक तापीय ऊर्जा संग्रहीत करने में सक्षम होती है।
- **अनुप्रयोग:** केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों (concentrated solar power plants), थर्मल बैटरी और औद्योगिक अपशिष्ट-ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणालियों (industrial waste-heat recovery systems) के लिए उपयुक्त।
- **महत्व:** यह स्वच्छ-ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों का समर्थन करने वाली कॉम्पैक्ट, लागत-प्रभावी और उच्च प्रदर्शन वाली तापीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को सक्षम बनाता है।

उम्मीद (UMMID) पहल

संदर्भ

भारत सरकार ने भारत में दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के निदान और प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 'यूनीक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स' (UMMID - उम्मीद) कार्यक्रम समर्पित किया है।

UMMID पहल के बारे में

- **नोडल मंत्रालय:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा कार्यान्वित।
- **उद्देश्य:** विरासत में मिले (वंशानुगत) और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों के शीघ्र निदान, रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।
- **प्रमुख घटक:** इसमें आनुवंशिक निदान, प्रसवपूर्व स्क्रीनिंग, नवजात शिशु की स्क्रीनिंग, आनुवंशिक परामर्श और चिकित्सकों का प्रशिक्षण शामिल है।
- **उम्मीद के तहत प्रमुख पहलें**
    - **निदान केंद्र:** उन्नत आनुवंशिक निदान और परामर्श सेवाओं के लिए लगभग 30 केंद्र स्थापित किए गए हैं।

- ○ **उम्मीद डैशबोर्ड और सार-संग्रह (Compendium):** निदान, आउटरीच और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया।
- ○ **आकांक्षी जिलों तक पहुंच:** वंचित और दूरस्थ क्षेत्रों तक जीनोमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया।

- **कवरेज और पहुंच:** लगभग 3 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए; आकांक्षी जिलों और वंचित क्षेत्रों में विस्तार किया गया।
- **प्रिसिजन मेडिसिन पर फोकस:** यह जीनोम-आधारित स्वास्थ्य सेवा, दुर्लभ रोग प्रबंधन और भारत में भविष्य के प्रिसिजन मेडिसिन (सटीक चिकित्सा) पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है।

दक्षिण कोरिया में भारतीय युद्ध स्मारक

संदर्भ

भारत और दक्षिण कोरिया ने सियोल के इमजिंगक पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, जो कोरियाई युद्ध के दौरान भारत की मानवीय और शांति स्थापना की भूमिका की स्मृति में है।

कोरियाई युद्ध में भारत की भूमिका

भारत ने मुख्य रूप से प्रत्यक्ष युद्ध अभियानों के बजाय चिकित्सा सहायता, शांति स्थापना और मानवीय सहायता के माध्यम से योगदान दिया।

- **मानवीय सहायता:** 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस ने युद्ध के दौरान हजारों घायल सैनिकों और नागरिकों का इलाज किया।
  - ○ **भारत का सम्मान:** कोरियाई लोगों ने भारतीय चिकित्सा दल को उनकी मानवीय सेवा के लिए "मरून एंजल्स" (Maroon Angels) की उपाधि से सम्मानित किया।
- **कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया (CFI):** भारत ने युद्धबंदियों की स्वदेश वापसी की निगरानी के लिए युद्धविराम के बाद CFI को तैनात किया।
- **तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग (Neutral Nations Repatriation Commission):** युद्धबंदियों की मानवीय स्वदेश वापसी की निगरानी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. थिमय्या के नेतृत्व में।
- **हिन्द नगर:** भारत ने 1954 में स्वदेश वापसी से पहले लगभग 22,000 युद्धबंदियों को रखने के लिए "हिन्द नगर" की स्थापना की।
- **रणनीतिक महत्व:** यह ऐतिहासिक भारत-दक्षिण कोरिया संबंधों को दर्शाता है और विशेष रणनीतिक साझेदारी (Special Strategic Partnership) को मजबूत करता है।

कोरियाई युद्ध (1950–53)

- **कारण:** जून 1950 में उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करने के बाद शुरू हुआ।
- **मुख्य पक्ष:**
  - ○ **उत्तर कोरिया:** चीन और सोवियत संघ द्वारा समर्थित
  - ○ **दक्षिण कोरिया:** संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित
- **संघर्ष की प्रकृति:** साम्यवादी (कम्युनिस्ट) और पूंजीवादी (कैपिटलिस्ट) गुटों के बीच प्रमुख शीत युद्ध संघर्ष।

- **संयुक्त राष्ट्र की भूमिका**: दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र बलों ने हस्तक्षेप किया।
- **"युद्धविराम समझौता:** युद्ध 1953 में एक युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ, न कि किसी शांति संधि के साथ।"
- **DMZ का गठन:** उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाले 38वें समानांतर (38th Parallel) के पास कोरियाई असैन्यकृत क्षेत्र (Demilitarized Zone - DMZ) बनाया गया।

गगनयान क्रू मॉड्यूल लाइफ-सपोर्ट सिस्टम (जीवन रक्षक प्रणाली)

संदर्भ

इसरो (ISRO) ने गगनयान मिशन के लिए पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली (Environmental Control and Life Support System - ECLSS) विकसित की है, ताकि क्रू मॉड्यूल के भीतर हवा, पानी, तापमान और कचरे का प्रबंधन करके अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को जीवित रखा जा सके।

क्रू मॉड्यूल बाहरी अंतरिक्ष में जीवन को कैसे बनाए रखता है

- **वायु पुनरोद्धार प्रणाली (ARS):** यह ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है, लिथियम हाइड्रॉक्साइड कनस्तरों का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है तथा गंध और दूषित पदार्थों को फिल्टर करती है।
- **जल आपूर्ति प्रणाली:** पीने योग्य पानी को विशेष पाउच में संग्रहित किया जाता है और माइक्रोग्रैविटी (सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण) में पानी के बुलबुलों को तैरने से रोकने के लिए दबावयुक्त प्रणालियों का उपयोग करके वितरित किया जाता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** सक्शन-आधारित प्रणालियों, मल संग्रह बैग और मूत्र फ़नल का उपयोग करता है; कचरे को रासायनिक रूप से उपचारित कर सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है।
- **अग्नि सुरक्षा तंत्र:** माइक्रोग्रैविटी स्थितियों में आग को नियंत्रित करने के लिए स्मोक डिटेक्टर (धुआं संसूचक) और वाटर-मिस्ट अग्निशामकों का उपयोग किया जाता है।
- **माइक्रोग्रैविटी वायु परिसंचरण:** केबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के खतरनाक पॉकेट को बनने से रोकने के लिए छोटे पंखे हवा का संचार करते हैं।
- **जलवायु नियंत्रण:** केबिन का तापमान 20-26°C, आर्द्रता 30-70% के बीच और दबाव 101.3 kPa पर बनाए रखता है।

गगनयान मिशन

- **मिशन का प्रकार:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन।
- **उद्देश्य:** भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों (गगनयात्रियों) को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना।
- **चालक दल और अवधि:** ह्यूमन-रेटेड (मानव-प्रमाणित) LVM3 रॉकेट का उपयोग करके लगभग 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को निचली कक्षा में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **इसके दो मॉड्यूल हैं:**
    - **क्रू मॉड्यूल:** पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली (ECLSS) के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला रहने योग्य कैप्सूल।

  - **सर्विस मॉड्यूल:** प्रणोदन (propulsion), बिजली आपूर्ति और ऑनबोर्ड समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।
- **एबॉर्ट सिस्टम:** प्रक्षेपण विफलता के दौरान आपातकालीन निकासी के लिए क्रू एस्केप सिस्टम (चालक दल बचाव प्रणाली)।
- **रिकवरी (पुनर्प्राप्ति):** भारतीय नौसेना द्वारा रिकवरी के साथ क्रू मॉड्यूल की हिंद महासागर में स्प्लैशडाउन (गिरने) की योजना है।
- **महत्व:** यह रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत को स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने वाला चौथा देश बनाता है।

ऑपरेशन नवजीवन

संदर्भ

'ऑपरेशन नवजीवन' के तहत, झारखंड के कोल्हान और सारंडा जंगलों में सक्रिय कमांडरों और स्ट्राइक-स्क्वाड सदस्यों सहित 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।

ऑपरेशन नवजीवन के बारे में

- **पहल की प्रकृति:** यह माओवादियों को मुख्यधारा के समाज में वापस लाने के उद्देश्य से एक आत्मसमर्पण और पुनर्वास कार्यक्रम है।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:** झारखंड पुलिस के साथ-साथ झारखंड जगुआर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की कोबरा (COBRA) इकाइयों द्वारा संचालित।
- **लक्षित क्षेत्र:** कोल्हान, सारंडा, चाईबासा और गुमला जैसे वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) प्रभावित क्षेत्रों पर केंद्रित।
- **लक्षित समूह:** इसमें CPI (माओवादी), JJMP कैडर, कमांडर और स्ट्राइक-स्क्वाड सदस्य शामिल हैं।
  - स्ट्राइक स्क्वाड छोटी सशस्त्र माओवादी लड़ाकू इकाइयाँ हैं जो वन क्षेत्रों में घात लगाकर हमले (ambushes), आक्रमण और गुरिल्ला अभियानों के लिए प्रशिक्षित होती हैं।
- **उपाय:**
  - **पुनर्वास उपाय:** इसमें वित्तीय सहायता, पुनर्वास समर्थन और समाज में पुनः एकीकरण शामिल है।
  - **सुरक्षा उपाय:** झारखंड ने सारंडा क्षेत्र में 21 नए सुरक्षा शिविर और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) स्थापित किए हैं।
- **महत्व:** यह माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने, वामपंथी उग्रवाद को कम करने और प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा में सुधार करने में मदद करता है।

भारतीय वस्त्र और बुनाई शैली

संदर्भ

प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अपने पांच देशों के राजनयिक दौरे के दौरान विश्व नेताओं को पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और क्षेत्रीय कलाकृतियाँ भेंट कीं।

भारत में वस्त्र

- भारत में महीन वस्त्रों के उत्पादन और उपयोग को सिंधु घाटी सभ्यता के काल तक खोजा जा सकता है। चूंकि वस्त्र प्रकृति में नाशवान होते हैं, इसलिए अधिकांश साक्ष्य चित्रों, मूर्तियों और शिलालेखों के माध्यम से जीवित हैं।
- प्राचीन चित्रों और मूर्तियों में चित्रित आकृतियों को अक्सर नाजुक, पारदर्शी मलमल के कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। इन कपड़ों की बारीकी को अक्सर हेम (किनारों) और सिलवटों के विस्तृत चित्रण के माध्यम से रेखांकित किया जाता है।
- विविध वस्त्र परंपराओं और कढ़ाई शैलियों के पुख्ता प्रमाण अजंता के भित्तिचित्रों, लघु चित्रों (मिनिएचर पेंटिंग्स) और मंदिर की भित्तिचित्रों (दीवार चित्रों) में भी पाए जा सकते हैं।
- भारत ने प्रारंभिक चरण में ही सूती बुनाई और रंगाई की उन्नत तकनीकें विकसित कर ली थीं, जबकि रेशम की बुनाई बाद में उभरी। रेशम की बुनाई पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास शुरू हुई, और चौथी व पांचवीं शताब्दी तक, रेशम के वस्त्र एक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु बन गए थे।
- वस्त्रों ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार की रीढ़ का निर्माण किया। रोमन अभिलेख छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास यूरोप में भारतीय रेशम के निर्यात का उल्लेख करते हैं।
- पश्चिमी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम ने एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में कार्य किया, जिसने चीन, अरब और पुर्तगाल, फ्रांस व इंग्लैंड जैसे यूरोपीय देशों के व्यापारियों को आकर्षित किया।
- उत्तरी भारत में भी वस्त्र वाणिज्य फला-फूला, जहाँ कारवां बुने हुए कपड़ों को मॉस्को तक ले जाते थे।
- मुगल शासकों के आगमन ने, जिन्हें लालित्य और विलासिता की सराहना के लिए जाना जाता है, नई कलात्मक तकनीकों को पेश किया जो मौजूदा परंपराओं के साथ मिश्रित हुईं और असाधारण रूप से परिष्कृत वस्त्र कला को जन्म दिया।

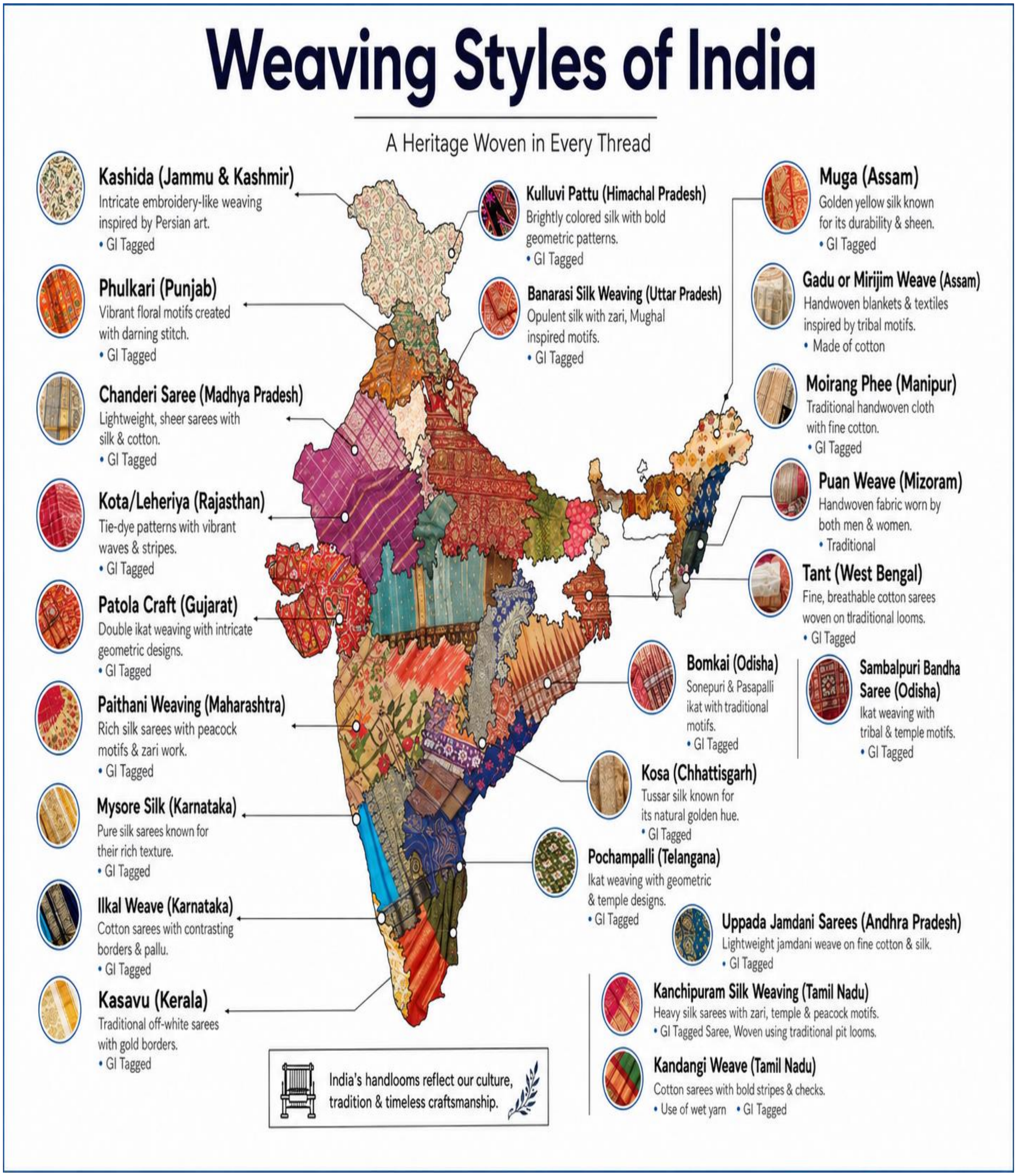
Weaving Styles of India
A Heritage Woven in Every Thread
Kashida (Jammu & Kashmir)
Intricate embroidery-like weaving inspired by Persian art.
• GI Tagged
Phulkari (Punjab)
Vibrant floral motifs created with darning stitch.
• GI Tagged
Chanderi Saree (Madhya Pradesh)
Lightweight, sheer sarees with silk & cotton.
• GI Tagged
Kota/Leheriya (Rajasthan)
Tie-dye patterns with vibrant waves & stripes.
• GI Tagged
Patola Craft (Gujarat)
Double ikat weaving with intricate geometric designs.
• GI Tagged
Paithani Weaving (Maharashtra)
Rich silk sarees with peacock motifs & zari work.
• GI Tagged
Mysore Silk (Karnataka)
Pure silk sarees known for their rich texture.
• GI Tagged
Ilkal Weave (Karnataka)
Cotton sarees with contrasting borders & pallu.
• GI Tagged
Kasavu (Kerala)
Traditional off-white sarees with gold borders.
• GI Tagged
Kulluvi Pattu (Himachal Pradesh)
Brightly colored silk with bold geometric patterns.
• GI Tagged
Banarasi Silk Weaving (Uttar Pradesh)
Opulent silk with zari, Mughal inspired motifs.
• GI Tagged
Muga (Assam)
Golden yellow silk known for its durability & sheen.
• GI Tagged
Gadu or Mirijim Weave (Assam)
Handwoven blankets & textiles inspired by tribal motifs.
• Made of cotton
Moirang Phee (Manipur)
Traditional handwoven cloth with fine cotton.
• GI Tagged
Puan Weave (Mizoram)
Handwoven fabric worn by both men & women.
• Traditional
Tant (West Bengal)
Fine, breathable cotton sarees woven on traditional looms.
• GI Tagged
Bomkai (Odisha)
Sonepuri & Pasapalli ikat with traditional motifs.
• GI Tagged
Sambalpuri Bandha Saree (Odisha)
Ikat weaving with tribal & temple motifs.
• GI Tagged
Kosa (Chhattisgarh)
Tussar silk known for its natural golden hue.
• GI Tagged
Pochampalli (Telangana)
Ikat weaving with geometric & temple designs.
• GI Tagged
Uppada Jamdani Sarees (Andhra Pradesh)
Lightweight jamdani weave on fine cotton & silk.
• GI Tagged
Kanchipuram Silk Weaving (Tamil Nadu)
Heavy silk sarees with zari, temple & peacock motifs.
• GI Tagged Saree, Woven using traditional pit looms.
Kandangi Weave (Tamil Nadu)
Cotton sarees with bold stripes & checks.
• Use of wet yarn • GI Tagged
India's handlooms reflect our culture, tradition & timeless craftsmanship.

मुख्य परीक्षा

BCCI सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर

संदर्भ

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने हाल ही में निर्णय दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" (public authority) के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता है। परिणामस्वरूप, BCCI को RTI आवेदनों के माध्यम से जानकारी का खुलासा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है।

कानूनी ढांचा

- **RTI अधिनियम, 2005 की धारा 2(h):** यह "सार्वजनिक प्राधिकरण" को किसी भी ऐसी संस्था या निकाय के रूप में परिभाषित करती है, जिसकी स्थापना निम्नलिखित के द्वारा की गई हो:
    - संविधान
    - संसदीय कानून
    - राज्य का कानून
    - सरकारी अधिसूचना/आदेश।
    - यह परिभाषा उन निकायों तक भी विस्तारित है जो सरकार के स्वामित्व वाले, सरकार द्वारा नियंत्रित, सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, या ऐसे गैर-सरकारी संगठन (NGOs) हैं जो पर्याप्त सार्वजनिक धन प्राप्त करते हैं।
- **संविधान का अनुच्छेद 12:** मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए "राज्य" (State) शब्द को परिभाषित करता है। इसमें सरकारें और सरकारी नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले प्राधिकरण शामिल हैं।
    - यद्यपि न्यायालयों ने यह स्वीकार किया है कि BCCI सार्वजनिक महत्व के कार्य करता है, परंतु इसे अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
- **राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025:** राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 में यह प्रावधान है कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले खेल निकाय RTI दायित्वों के अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन केवल ऐसे धन के उपयोग के संबंध में।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

- **ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2005):** सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि BCCI अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" नहीं है क्योंकि यह न तो वित्तीय और न ही प्रशासनिक रूप से सरकार के वर्चस्व में है।
    - इस निर्णय ने CIC के तर्क का संवैधानिक आधार तैयार किया।
- **थलप्पालम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2013):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 2(h) के तहत "नियंत्रण" (control) का अर्थ पर्याप्त और व्यापक नियंत्रण है, न कि सामान्य विनियमन या पर्यवेक्षण।
    - CIC ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए इसी सिद्धांत पर भरोसा किया कि BCCI, RTI के कवरेज (दायरे) से बाहर है।

- **BCCI बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (2016):** इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों के माध्यम से शासन सुधार (governance reforms) पेश किए।

लोढ़ा समिति और विधि आयोग की सिफारिशें

- **लोढ़ा समिति**: बीसीसीआई के लिए प्रमुख शासन सुधारों का सुझाव दिया, जिनमें शामिल हैं:
  - कार्यकाल प्रतिबंध,
  - एक राज्य-एक वोट की नीति,
  - हितों के टकराव के नियम,
  - संरचनात्मक सुधार।
- **विधि आयोग की 275वीं रिपोर्ट (2018):** बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत लाने की सिफारिश की गई क्योंकि इसकी भूमिका राष्ट्रीय खेल महासंघ से मिलती-जुलती है।

प्रमुख चिंताएं

- **जवाबदेही की कमी:** बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट को नियंत्रित करता है और राष्ट्रीय खिलाड़ियों का चयन करता है, फिर भी नागरिक आरटीआई के माध्यम से इससे जानकारी नहीं मांग सकते हैं।
- **पारदर्शिता के मुद्दे:** खिलाड़ी चयन, शासन, वित्त और हितों के टकराव की नीतियों से संबंधित मामले सार्वजनिक जांच से परे रह सकते हैं।
- **क्रिकेट का सार्वजनिक महत्व:** क्रिकेट भारत में बहुत अधिक राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसमें व्यापक सार्वजनिक भागीदारी और भावनात्मक निवेश शामिल है।
- **मौजूदा आरटीआई कानून में अंतराल:** यह मामला सार्वजनिक कार्यों को करने वाले प्रभावशाली निजी निकायों से निपटने के दौरान आरटीआई ढांचे में सीमाओं को उजागर करता है।
- **स्पष्ट कानून की आवश्यकता:** यह निर्धारित करने के लिए एक कानूनी ढांचे की मांग बढ़ रही है कि राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक जिम्मेदारियों का प्रयोग करने वाले निजी संगठनों को पारदर्शिता मानदंडों का पालन करना चाहिए या नहीं।

आगे की राह

- बीसीसीआई स्वेच्छा से ऑडिट किए गए खातों, शासन के निर्णय और चयन प्रक्रियाओं जैसी जानकारी का खुलासा कर सकता है।
- संसद विशेष रूप से सार्वजनिक कार्यों को करने वाले खेल निकायों के लिए एक संतुलित पारदर्शिता तंत्र तैयार कर सकती है।
- शासन सुधारों को जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए संस्थागत स्वायत्तता को संरक्षित करना चाहिए।
- सरकार को अत्यधिक हस्तक्षेप के बिना न्यूनतम प्रकटीकरण मानकों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- भारत प्रमुख खेल संस्थानों को सरकारी निकायों के रूप में मानने के बजाय उनके लिए एक अलग खेल पारदर्शिता ढांचे पर विचार कर सकता है।

लद्दाख प्रतिनिधित्व के माध्यम से जुड़ाव (BELONGING) चाहता है

संदर्भ

संवैधानिक प्रतिनिधित्व के लिए लद्दाख की मांग ने उस समय जोर पकड़ लिया जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर यह सुझाव दिया कि विधायिका या छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के संरक्षण प्रदान करने की तुलना में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और अतिरिक्त जिलों का निर्माण अधिक उपयुक्त हो सकता है।

लद्दाख की मांग के संवैधानिक मुद्दा बनने के पीछे के कारण

- **2019 के बाद शासन परिवर्तन:** 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, लद्दाख को बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जिससे निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश सीमित हो गई।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग:** स्थानीय संगठनों ने भूमि अधिकारों, रोजगार के अवसरों, संस्कृति और क्षेत्रीय स्वायत्तता की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के दर्जे, पूर्ण राज्य के दर्जे (statehood), या अन्य प्रतिनिधि संस्थानों की मांग की है।
- **बढ़ता लोकतांत्रिक घाटा (Growing Democratic Deficit):** निर्वाचित भागीदारी और निर्णय लेने के लिए बढ़ती जन आकांक्षाओं के बावजूद लद्दाख में शासन काफी हद तक नौकरशाही बना हुआ है।
- **रणनीतिक महत्व:** चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमांत क्षेत्र के रूप में, लद्दाख की राजनीतिक स्थिरता और जनता के विश्वास का राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- **विकेंद्रीकरण पर बहस:** जहां केंद्र ने नए जिलों के माध्यम से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया है, वहीं स्थानीय समूह गहरे संवैधानिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण का तर्क देते हैं।

प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

- **बेहतर प्रशासनिक पहुँच:** नुब्रा, चांगथांग, शाम, जांस्कर और द्रास जैसे नए जिलों का निर्माण लद्दाख के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में शासन तक पहुँच में सुधार कर सकता है।
- **भौगोलिक चुनौतियाँ:** लद्दाख लगभग 59,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है और गंभीर जलवायु परिस्थितियों, पर्वतीय बाधाओं और बिखरी हुई बस्तियों का सामना करता है, जिससे स्थानीय पहुँच महत्वपूर्ण हो जाती है।
- **जिला प्रशासन की सीमाएँ:** जिला प्राधिकरण नीतियां लागू कर सकते हैं लेकिन भूमि अधिकार, रोजगार सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रशासन, शिक्षा या सांस्कृतिक संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून नहीं बना सकते हैं।
- **जवाबदेही संबंधी चिंताएँ:** प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से उच्च नौकरशाही अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होते हैं, जबकि निर्वाचित विधायिकाएँ सीधे नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती हैं।
- **राजनीतिक आवाज़ का महत्व:** एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रशासनिक सुविधा, लोकतांत्रिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं हो सकती।

जनसंख्या बनाम व्यवहार्यता (Viability) का तर्क

- **लोकतांत्रिक समानता:** भारत ने ऐतिहासिक रूप से प्रतिनिधित्व को केवल जनसंख्या के आकार या आर्थिक व्यवहार्यता से नहीं जोड़ा है। छोटे और आर्थिक रूप से निर्भर क्षेत्रों को भी प्रतिनिधि संस्थाएं प्राप्त हुई हैं।

- **पूर्वोत्तर का उदाहरण:** नागालैंड (1963), मिजोरम (1987) और अरुणाचल प्रदेश (1987) जैसे राज्यों को विरल जनसंख्या और केंद्रीय सहायता पर भारी निर्भरता के बावजूद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
- **रणनीतिक एकीकरण:** सीमावर्ती आबादी क्षेत्रीय उपस्थिति, स्थानीय खुफिया जानकारी और सामाजिक लचीलेपन (social resilience) के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करती है। राजनीतिक समावेशन सीमांत क्षेत्रों में विश्वास को मजबूत करता है।
- **पुनर्वितरणात्मक संघवाद (Redistributive Federalism):** भारत की राजकोषीय प्रणाली वित्त आयोग के हस्तांतरण जैसे तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को मान्यता देती है। राजकोषीय निर्भरता को कभी भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं माना गया है।
- **शासन बनाम प्रतिनिधित्व:** प्रशासनिक विकेंद्रीकरण सेवा वितरण (service delivery) में सुधार कर सकता है, लेकिन भूमि, संसाधनों, रोजगार और सांस्कृतिक सुरक्षा से संबंधित निर्णयों के लिए प्रतिनिधि संस्थाएं आवश्यक हैं।
- **संवैधानिक चिंता:** व्यापक मुद्दा यह है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में उनके योगदान के बावजूद क्या राजनीतिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाला रहना चाहिए।

भूमि प्रशासन का लद्दाख की चिंताओं के केंद्र में आने के कारण

- **नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार:** चांगथांग के पैंग (Pang) क्षेत्र में प्रस्तावित बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कथित उद्देश्य लगभग 13 GW (गीगावाट) सौर और नवीकरणीय क्षमता का दोहन करना है।
- **पारिस्थितिक चिंताएँ:** लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो सकती है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय सहमति पर सवाल उठाती है।
- **आर्थिक दांव:** लगभग ₹50,000 करोड़ के प्रस्तावित निवेश और लगभग ₹7,000 करोड़ के अनुमानित वार्षिक राजस्व ने भूमि प्रशासन को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है।
- **आजीविका के मुद्दे:** चांगपा चरवाहों के चरागाह अधिकारों, पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों और लाभों के समान बंटवारे के संबंध में चिंताएं उभरी हैं।
- **प्रतिनिधि संस्थानों की आवश्यकता:** भूमि उपयोग, रॉयल्टी, स्थिरता और आजीविका से संबंधित निर्णयों के लिए पूर्णतः नौकरशाही प्रशासन के बजाय स्थानीय रूप से जवाबदेह राजनीतिक संस्थानों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

लद्दाख के विकासात्मक भविष्य के लिए लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को संतुलित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि, आजीविका, पारिस्थितिकी और संसाधन प्रशासन पर निर्णय स्थानीय रूप से प्रतिनिधि संस्थानों में निहित रहें।